कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 1137 /14—1 ,आगरा, दिनांक, 06 सितम्बर, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :— आगरा में अबन्ती बाई चौराहे से रोहता तक (आगरा—ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा छः लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/2018/एफ0सी0/196 दिनांक 19.06.2018 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 765/14—1 दिनांक 20.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आख्या के आधार पर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है :—

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्ति	निस्तारण
1	प्रस्तुत किए गए के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को नहीं दर्शाया गया है।	प्रस्तुत के0एम0एल0 फाइल में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को दर्शाया गया है।
2	मूल टोपोशीट प्रस्तुत करें।	मूल टोपोशीट संलग्न है।
3	कई बिन्दुओं पर प्रस्तावित वन भूमि की गणना दिये गये कास सैक्शन एरिया के साथ मेल नहीं खाते।	पूर्व प्रस्तावित वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल पर चैनेज नहीं दर्शाया गया था, जिसके कारण भ्रम की स्थिति हो गयी थी। प्रस्तावित भूमि की के0एम0एल0 फाइल पर चैनेज दर्शा दिया गया है जो गणना में दिये गये कास सेक्शन एरिया के साथ मेल खाती है।

प्राप्त अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड—1), लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

OS/Draftman/letter 2017